भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
सत्यमेव जयते
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**
मकान सं0 21, इन्जीनियर्स एन्क्लेव कॉलोनी, जी.एम.एस. रोड़, देहरादून – 248001 House no.21, Engineers Enclave Colony, GMS Road, Dehradun - 248001
दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई–मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web:www.nhai.gov.in

NHAI/PIU-VSNT-VHR/55011/Rishikesh-Bhaniyawala/Forest/2021/ 11460 Date: 22.05.2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषयः अनुपालन रिपोर्ट उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी0 0.000 से किमी0 20.600 तक के मौजूदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) **विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/146663/2021)**

संदर्भः 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024
2. इस कार्यालय का पत्रांक 8232 दिनांक 30.01.2025

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र सं0 8232 दिनांक 30.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की नवीनतम अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :– FP/UK/ROAD/146663/2021

(क) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तो का पालन करना आवश्यक हैं।

क्र0स0	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 40.00 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम छमरोली (15. 00 है0), मखड़ेती (10.00 है0), एवं द्वारा (15.00 है0) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजाातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) प्रत्यांवर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	संबंधित कार्यवाही वन विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः ...2

2.	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को आदेश कार्यालय जिलाधिकारी देहरदून के पत्र संख्या–579/12ए-49/डी0एल0आर0सी0- (2023-2026) दिनांक 31 जनवरी, 2026 के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित कर दी गयी है।
3.	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण-II/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	संज्ञान में लाना है कि दिनांक 21.05.2026 को चंडीगढ़ में आहूत आर0ई0सी0 की चतुर्थ बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी को निर्देशित किया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित करने के उपरान्त चरण-II/अंतिम अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह संज्ञान में लाना है कि राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के लिए नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून द्वारा उनके पत्रांक 1831 दिनांक 04.04.2026 के माध्यम से प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को भेज दिया गया है।
4.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 19.8345 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 19.8345 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि 3,16,51,697/– रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से दिनांक 29.01.2025 को केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। (ख) इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 3357 वृक्षों एवं 1085 सैपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
6.	In case the CA rates are revised then the user agency would have to deposit the remaining amount as per the revised rates in the CAMPA fund. The user agency shall submit an undertaking in this regard.	In this regard, a separate undertaking is Enclosed. इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानो के अनुसार underpass / overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
8.	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9.	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यलय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
10.	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
11.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित कर लिया गया है एवं हार्ड प्रतिलिपी संलग्न है।
12.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
13.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

21/28

(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण-II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

क्र0स0	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा राशि 1,97,46,800/– रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से दिनांक 29.01.2025 को अग्रिम रूप से केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा।
4.	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त कर ली गयी हैं एवं हार्ड प्रतिलिपी संलग्न है।
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
6.	वैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0. 7 होना चाहिए।	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।
7.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।
8.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
10.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

2/2/25

11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
12.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backwrad bearings अंकित हों।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
15.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
16.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
17.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
18.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
19.	The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
20.	The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
21.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
24.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
25.	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून कार्यालय पत्रांक 3008 दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से प्रेषित डिमांड नोट के क्रम में निम्नानुसार धनराशि वन विभाग के कैम्पा खाते में दिनांक 29.01.2025 (Bank Reference No. 295595) **(भुगतान रसीद संलग्न)** को जमा करायी जा चुकी है:–

क्रम सं0	मद	भौतिक	दर	देय धनराशि (रु0)
1	प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसका 10 वर्षों का अनुरक्षण	40 है0	रु0 4,93,670/है0	रु0 1,97,46,800/–
2	एन0पी0वी0	19.8345 है0	रु0 15,95,790/है0	रु0 3,16,51,697/–
3	वन्यजीव प्रबन्धन योजना	परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत		रु0 4,83,83,000/–
4	मृदा एवं जल संरक्षण योजना	परियोजना की लागत का 0.5 प्रतिशत		रु0 1,20,98,000/–
कुल योग				रु0 11,18,79,497/–
रु0 ग्यारह करोड़ अठ्ठारह लाख उनासी हजार चार सौ सत्तानबे मात्र				

भवदीय

(सौरभ सिंह)
उप महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक
प0का0ई0–वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपिः प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मै0 योंग्मा इन्जी0 कं0 लि0 – को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 **बी/यू०सी०पी०**/06/66/2023/**एफ०सी०** **दिनांकः** As per E-sign

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी0 0.000 से किमी0 20.600 तक के मौजूदा सड़क चार लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/146663/2021)।

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2675/FP/UK/ROAD/144340/2021 दिनांक 07.05.2022 एवं पत्रांक 1313/12-1: देहरादून: दिनांक 04-11-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल/ अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन **(**संरक्षण**)** अधिनियम, 1980 की धारा**-2** के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 02.12.2024 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरांत केन्द्र सरकार**- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी0 0.000 से किमी0 20.600 तक के मौजूदा सड़क चार लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन** किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः

(क.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1- **प्रतिपूरक वनीकरणः**

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 40.00 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम छमरोली (15.00 है0), मखदेती (10.00 है0) एवं द्वारा (15.00 है0) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**

(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0 एम 0 एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस 0 एम 0 सी कार्य और डब्ल्यू0 एल 0 एम 0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

2- प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर-वन/ सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।

3- राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर-वन / सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा(ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण-II/ अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

4- **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **19.8345** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 3357 वृक्षों एवं 1085 सैपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़

जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4- राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।

5- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / राज्य वन्यजीव बोर्ड / राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

6- **वैकल्पिक / प्रतिपूरक व्रक्षारोपण क्षेत्र मे पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

7- **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

8- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

9- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

10- वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

11- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

12- संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

13- प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।

14- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।

15- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16- वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

17- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4- राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।

5- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / राज्य वन्यजीव बोर्ड / राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

6- **वैकल्पिक / प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र मे पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

7- **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

8- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

9- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

10- वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

11- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

12- संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

13- प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।

14- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।

15- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16- वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

17- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

18- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

19- The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.

20- The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.

21- The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.

22- प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

23- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

24- प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।

25- उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 26-12-2024 15:46:15

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कक्ष क्रमांक ए-232, द्वितीया तल, अग्नि स्कंध, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003 (Email: nationalcampa-moefcc@gov.in).
4. प्रभागीय वन अधिकारी, देहरादून वन प्रभाग।
5. आदेश पत्रावली।

शपथ–पत्र

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Applied Area: – 19.8345 Ha

मैं सौरभ सिंह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।

2. यह कि मिकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, पी0आई0यू0, वसन्त विहार, देहरादून का ॲर्टानी होल्डर है।

3. क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 40.00 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम छमरोली (15.00 है0), मखड़ेती (10.00 है0), एवं द्वारा (15.00 है0) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजाातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

5. राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

संज्ञान में लाना है कि दिनांक 21.05.2026 को चंडीगढ़ में आहूत आर0ई0सी0 की चतुर्थ बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी को निर्देशित किया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित करने के उपरान्त चरण-II/अंतिम अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त यह संज्ञान में लाना है कि राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के लिए नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून द्वारा उनके पत्रांक 1831 दिनांक 04.04.2026 के माध्यम से प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को भेज दिया गया है।

6. विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

7. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 3357 वृक्षों एवं 1085 सैपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

8. In case the CA rates are revised then the user agency would have to deposit the remaining amount as per the revised rates in the CAMPA fund. इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानो के अनुसार underpass / overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

10. वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

11. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यलय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

12. राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

13. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

14. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/द्धपर अपलोड की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

15. वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

16. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

17. प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जायेगे उन का पालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

18. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

19. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-दाला विहार, देहरादून

20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

21. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

22. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

23. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित किये जायेगें। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

24. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

25. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाये जायेगें। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

26. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

27. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

28. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

29. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी उनका पालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

30. The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable. इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

31. The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

32. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

33. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी।

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
देहरादून

निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

34. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

35. प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

36. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंतर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(सौरभ सिंह)
उप महाप्रबन्धक (तक0) सह
परियोजना निदेशक
प0का0ई0–वसन्त विहार (देहरादून)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प0का0ई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

(1 क)

प्रस्ताव का नाम :- **Four/Six laning of Bhaniyawala-Jollygrant-Rishikesh road (Spur) section of NH-07 from Design Ch. 0.000 to Design Ch. 19.780 in the State of Uttarakhand. (Proposal No.-FP/UK/ROAD/146663/2021)**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 40.00 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम छमरोली (15.00 है०), मखडेती (10.00 है०) एवं द्वारा (15.00 है०) में चयनित किया गया है। साथ ही उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में प्रतिपूरक वनीकरण के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में निम्न कथनों की वचनबद्धता दी जाती है :-

1. यह कि उक्त परियोजना के एवज में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर मसूरी वन प्रभाग मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 40.00 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम छमरोली (15.00 है०), मखडेती (10.00 है०) एवं द्वारा (15.00 है०) में सैद्धांतिक स्वीकृति में दिये गये निर्देशों का के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र प्रतिपूरक वनीकरण कर लिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन नहीं किया जायेगा । **(शर्त संख्या-1 क)**
2. यह कि पोर्टल पर FCA Projects रजिस्टर किये जाने हेतु II stage Clearance Year का कॉलम Mandatory field है, जिस कारण प्रकरण में Stage II से पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, वृक्षारोपण क्षेंत्र एवं अन्य आवश्यक विवरण वर्तमान में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। शर्त संख्या-1 ख के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है कि विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्त सभी विवरण ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। **(शर्त संख्या- 1ख)**
3. यह कि क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र में पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए, का पालन किया जायेगा। **(शर्त संख्या ख-6)**
4. यह कि उक्त सी०ए० क्षेत्र बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें। **(शर्त सं० ख -7)**

दिनांक 05.06.2026

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी

(2)

आदेश

जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 579 / 12ए –49 / डी0एल0आर0सी–(2023–2026) दिनांक 31 जनवरी, 2026 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला–जौलीग्रान्ट–ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के सापेक्ष कुल रकबा 40.0000 है0 भूमि सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित की गयी है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जनपद देहरादून तहसील देहरादून के **ग्राम छमरोली के खाता सं0 00080 के खसरा नं0 283 रकबा 25.4000है0 में से 15.0000है0** भूमि सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(अपूर्वा सिंह),
प्रभारी अधिकारी /
कृते जिलाधिकारी, देहरादून।

।।कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com.Phone-0135-2722389/Fax/-2720025

संख्याः– 594 / 12ए–49 / डी0एल0आर0सी–(2023–2026) दिनांक 20फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
6– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– **उप जिलाधिकारी, सदर को इस आशय के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अमलदरामद की कार्यवाही करने का कष्ट करें।**
8– महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बसन्त विहार, देहरादून, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9– कार्यालय प्रति।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून
पत्रावली संख्या 12-1
पंजीकरण संख्या 10872
दिनांक 25/02/2026

D/Man
कृ०औ०–मो०म०
पु०व०अ०
23/2/26

(अपूर्वा सिंह),
प्रभारी अधिकारी /
कृते जिलाधिकारी, देहरादून।

।। आदेश।।

उप महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, प0का0ई0–वसन्त विहार देहरादून, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या 10621 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा कार्यालय पत्रांक 6515 दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला–जौलीग्रान्ट–ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के सापेक्ष कुल रकबा 40.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित** किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1162/डी0एल0आर0सी0–2025 दिनांक 31 जुलाई, 2025 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर वन विभाग के साथ संयुक्त जांच कर आख्या/प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, सदर को पत्र प्रेषित किया गया। उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा अपनी आख्या दिनांक 17.11.2025 में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम मकडेती, छमरोली एवं द्वारा में राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय रा0उ0नि0, वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन बीट अधिकारी व उपवन क्षेत्राधिकारी रायपुर रेन्ज/क्षेत्रीय वन दरोगा मसूरी रेन्ज एवं भा0रा0रा0प्रा0 की आरे से डी0पी0आर0 कन्सल्टेन्ट के स्थल अभियन्ता, भा0रा0रा0प्रा0 के नायब तहसीलदार एवं स्थल अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	खसरा सं0	वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि		विवरण
			जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में हस्तान्तरित भूमि का क्षे0 है0 में	उपयुक्त भूमि का क्षे0 है0 में	
01	छमरोली	283	25.4000	15.0000	श्रेणी 5–3–ख/ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाडियों के झुण्ड, झाडियॉ इत्यादि हो
योग			25.4000	15.0000	
02	मकडेती	5क	3.0920	–	श्रेणी 6–4/जो अन्य कारणों से अकृषिक हो एवं श्रेणी 5–3–ख–1/जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो
		5ड	2.3050	0.9670	
		21	0.1650	–	
		167घ	5.5110	5.4710	
		168	0.4600	0.4600	
		170ख	1.0790	1.0790	
		182/4क	2.0230	2.0230	
योग			14.6350	10.0000	
03	द्वारा	909	3.8300	3.8300	श्रेणी 5–3–ख–2/गांव समाजो में निहित
		2092क	5.9380	5.9380	
		2091	0.1740	0.1740	
		607	1.3510	1.0580	
		614मि	4.1810	4.0000	
योग			15.4740	15.0000	
कुल योग			55.5090	40.0000	

उप जिलाधिकारी, सदर से उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या/प्रस्ताव दिनांक 17.11.2025 एवं उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्र दिनांक 28.01.2026 के कम में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 206/12ए–09 (2023–2026) डी0एल0आर0सी0 दिनांक 13 जून 2024 को निरस्त करते हुये शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7) /50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015.18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या–496/XVIII (II)/2020-08 (63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार ग्राम जनपद

देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम छमरोली के खाता सं0 00080 के खसरा नम्बर 283 रकबा 25.4000 है०, ग्राम मकडेती के खाता संख्या 00057, ख०न० 5ड़ रकबा 2.3050 है० में से रकबा 0.9670है0, ख0न0 167घ रकबा 5.5110 है० में से रकबा 5.4710है0, ख0न0 168 रकबा 0.4600 है०, ख०न० 170ख रकबा 1.0790 है०, एवं खाता संख्या 00049 के खसरा नं0 182/4क रकबा 2.0230 है०, ग्राम द्वारा के खाता संख्या 00345, खसरा नम्बर 909 रकबा 3.8300 है०, ख0न0 2092क रकबा 5.9380 है०, ख0न0 2091 रकबा 0.1740 है0, ख0न0 607 रकबा 1.3510 है० में से 1.0580है0 एवं ख0न0 614मि रकबा 4.1810 है० में से 4.0000है0 कुल रकबा 40.0000है0 भूमि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला– जौलीग्रान्ट –ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तो के अनुसार हस्तान्तरित किया जाना है:–

1– भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

2– उपरोक्त प्रस्तावित जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना है और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका है, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक है।

3– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।

4– हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।

5– यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

6– उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है,उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।

उपरोक्त शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह0/–
(सविन बंसल),
जिलाधिकारी,
देहरादून।

।।कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com.Phone-0135-2722389/Fax/-2720025

संख्याः– 579/12ए–49/डी0एल0आर0सी–(2023–2026) दिनांक 31 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2– सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

5– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

6– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7– **उप जिलाधिकारी, सदर को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अमलदरामद की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।**

8– महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बसन्त विहार, देहरादून, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9– कार्यालय प्रति।

(अपूर्वा सिंह),
प्रभारी अधिकारी/
कृते जिलाधिकारी, देहरादून।

JAWYMJ4KJU

खाता विवरण (प्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : छमरोली परगना : परवादून तहसील : देहरादून जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1425-1430 भाग : 1

खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान (रुपये में)	आदेश	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-ख / ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों केझुण्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।							
00080	जंगल झाडी		283	34.5070		कार्यालय जिलाधारी दे.दून, संख्या 206/12ए-09(2023-2026) डी.एल.आर.सी. दिनांक 13 जून 2024 एवं तहसीलदार दे.दून के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 19.06.2024 के अनुसार मकडेती के खसरा नम्बर 5क रकबा 3.0920 है0 श्रेणी 5-3-ख-1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम मकडेती के खसरा नम्बर 5क रकबा 3.0920 है0 श्रेणी 5-3-ख-1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम मकडेती के ख0न0 5 ड रकबा 2.3050 है0, ख0न0 21 रकबा 0.1650 है0, ख0न0 167घ रकबा 5.5110 है०, ख0न0 168 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 170ख रकबा 1.0790 है0, श्रेणी 6-4 ढाग जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, ग्राम मकडेती के ख0न0 182/4क रकबा 2.0230 है0 श्रेणी 5-3-ख-1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम छमरोली के खसरा नम्बर 283 रकबा 25.4000 है0 श्रेणी 5-3-ख-1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम ढारा के खसरा नम्बर 909 रकबा 3.8300 है0, ख0न0 2092क रकबा 5.9380 है0 ख0न0 2091 रकबा 0.1740 है0, ख0न0 607 रकबा 1.3510 है0, ख0न0 614मि रकबा 4.1810 है0 कुल रकबा 15.474 है0 श्रेणी 5-3-ख-2 ग्राम समाजो में निहित जंगल साल ग्राम समाज, कुल रकबा 55.509 है0 भूमि जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट ऋषिकेश किमी 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सेक्शन के पास से जोडने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कार्य कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण में आने वाली 39.9194 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवंटित / हस्तान्तरित किया जाता है, 1- भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन नामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा	
योग			2	44.5500	0.00		

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान (रुपये में)	आदेश	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : S-3-ख / ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों केशुण्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।							
			408ख	10.0430		रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो। 3- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए। 4- यदि भूमि वन विभाग की रक्षित भूमि हो, तो वह हस्तांतरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी। रक्षित वन भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित ग्राम वासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तांतरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी। 5- वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तांतरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा, लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्त कर्ता विभाग द्वारा वन विभाग की उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना होगा। 6- हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा। 7- यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। 8-उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति / अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये। परवाने से, कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं. 579/12ए-49/ डी0एल0आर0सी0-(2023-2026) दिनांक 31 जनवरी, 2026 व तहसीलदार सदर देहरादून के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 11.02.2026 के अनुसार उप जिलाधिकारी, सदर से उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या/प्रस्ताव दिनांक 17.11.2025 एवं उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्र दिनांक 28.01.2026 के क्रम में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 206/12ए-09 (2023-2026) डी०एल०आर०सी० दिनांक 13 जून 2024 को निरस्त करते हुये 'शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या-111/XXVII (7) /50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या-1887/XVIII(II)/2015.18 (169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या-496/ XVIII (II)/2020-08 (63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार ग्राम जनपद देहरादून तहसील देहरादन के ग्राम छमरोली के खाता सं. 80 के खसरा नम्बर 283 रकबा 25.4000 है.	
योग			2	44.5500	0.00		

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान (रुपये में)	आदेश	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-ख / ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियो केझुण्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।							
						ग्राम मकडेती के खाता संख्या 57 ख.न. 5ड रकबा 2.3050 है. में से रकबा 0.9670 है. ख.न. 167घ रकबा 5.5110 है. में से रकबा 5.4710 है. ख.न० 168 रकबा 0.4600 है. ख०न० 170ख रकबा 1.0790 है. एवं खाता सं. 49 खसरा नं. 182/4क रकबा 2.0230 है. ग्राम द्वारा के खाता संख्या 00345, खसरा नम्बर 909 रकबा 3.8300 है. ख०न0 2092क रकबा 5.9380 है. ख0न0 2091 रकबा 0.1740 है०. ख0न0 607 रकबा 1.3510 है० में से 1.0580 है. एवं ख0न0 614मि रकबा 4.1810 है० में से 4.0000है० कुल रकबा 40.0000है० भूमि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादन में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.600 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निर्धारित शर्तो के अनुसार हस्तान्तरित किया जाना है. परवाने से कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के आदेश सं. 594/12ए-49/ डी0एल0आर0सी0-(2023-2026) दिनांक 20 फरवरी, 2026 के अनुसार जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 579/12ए-49/डी0एल0आर0सी0-(2023-2026) दिनांक 31 जनवरी, 2026 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जिला देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.600 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के सापेक्ष कुल रकबा 40.0000 हे0 भूमि सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित की गयी है उक्त आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुये जनपद देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम छमरोली के खाता सं. 80 के खसरा नं. 283 रकबा 25.4000 है0 मे से 15.0000 है. भूमि सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है.शेष आदेश यथावत रहेगा.(कार्यालय आदेश)	
योग		2	44.5500	0.00			

Data Digitally Signed by : PREM PRAKASH

यह खसरा खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा तैयार की गयी है|

इस खतौनी की प्रमाणिकता क्यू.आर. कोड से की जा सकती है|

उपरोक्त खसरा खतौनी का वेरिफिकेशन Uttarakhand Bhulekh Website (ebhulekh.uk.gov.in) पर जाकर किया जा सकता है|

सक्षम अधिकारी : रजिस्ट्रार कानूनगो

तहसील : देहरादून

जनपद : देहरादून

दिनांक एवं समय : 21/02/2026 01:04 PM IST

Scanned with OKEN Scanner

*** खतौनी का विवरण समाप्त ***

Scanned with OKEN Scanner

क-3

कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

G2G

पत्रांक– 1831 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः - 4 अप्रैल 2026

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :– उत्तराखण्ड राज्य के जनपद–देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग–7 के भानियाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के डिजाईन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के मौजूदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/146663/2021 के सम्बन्ध में को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2581/12–1 दिनांक 12.03.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत के सम्बन्ध में वन संरक्षक के द्वारा निम्नलिखित प्रकरण पर प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं इसके लिए चयनित क्षतिपूरक वनीकरण की भूमि जिसका नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है, का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि (है0)	चयनित भूमि जिसका हस्तान्तरण किया जा चुका है (है0)	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित की जाने वाली भूमि (है0)
FP/UK/ROAD/146663/2021	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद–देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग–7 के भानियाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के डिजाईन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के मौजूदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।	26.12.2024	19.8345 है0	19.8345 है0	40.00 है0
				योगः–	40.00 है0

अतः उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड राज्य के जनपद–देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग–7 के भानियाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के डिजाईन कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.600 तक के मौजूदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरित कुल 19.8345 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 40.00 है0 भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी के आलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसे संलग्न कर यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1831 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

87–राजपुर रोड, देहरादून, फैक्स–0135–2745779 NIC mail ID:-cfyam-forest-uk@nic.in

पत्रांक– 2581 /12–1   दिनांक, देहरादून,   12 मार्च, 2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग–7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि०मी० 0.000 से कि0मी0 20.600 तक के मौजूदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा हस्तान्तरित की गयी 40.000 हैक्टेयर को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **मसूरी वन प्रभाग, मसूरी की पत्र सं0 3973/12–1, दिनांक 24.02.2026**

महोदय,

इस वृत्त के अधीनस्थ मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के अन्तर्गत विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/6663/2021 की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा दिनांक 26.12.2024 से निर्गत की गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के आदेश सं0 579/12ए–49/डी0एल0आर0सी0–(2023–2026), दिनांक 31.01.2026 एवं संशोधित आदेश सं0 594/12ए–49/डी0एल0आर0सी0–(2023–2026), दिनांक 20.02.2026 से वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित 40 है0 भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जाना है। इस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना के आंग्ल तथा हिन्दी आलेख्य मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये हैं। जिसकी समीक्षा इस स्तर से भी कर ली गई है।

उक्त आलेख्य मय संगत अभिलेखों के आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 40.00 है० भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार</u>

भवदीया,

(कल्याणी)
वन संरक्षक
यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून।

<u>संख्या– 2581 /12–1 तद्दिनांकित</u>
प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी रा. राजमार्ग
आ.का. केंं,

प्र.व.सं./नो०
13-3-26

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
प्राप्ति सं0 2970
पत्रावली 12-1
दिनांक 20-03-26

(कल्याणी)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक - 3973/12-1 मसूरी, दिनांक - 24 / 02 / 2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग–7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.600 तक के मौजूदा सडक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 19.8345 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के एवज में में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा हस्तान्तरित की गयी 40.000 हैक्टेयर को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– 1– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 66 / 2023 / एफ0सी0, दिनांक–26 / 12 / 2024।

2– कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून का आदेश संख्या–579 / 12ए–49 / डी0एल0आर0सी0–(2023–2026), दिनांक–31 / 01 / 2026 एवं 594 / 12ए–49 / डी0एल0आर0सी0–(2023–2026), दिनांक–20 / 02 / 2026

3– उप महाप्रबन्धक (तक0) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प0का0ई0–वसन्त विहार, देहरादून का पत्र संख्या– NHAI/PIU/VSNT/55011/Rishikesh-Bhaniyawala/Forest/2021/10820, दिनांक–20.02.2026।

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (संलग्नक–1) के द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त पत्र के **शर्त संख्या क–2** के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र का राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया जाना है एवं **शर्त संख्या क–3** के अनुसार उपरोक्तानुसार राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित गैर वन /सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित या संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

महोदया, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या क–2 के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 19.8345 है0 के एवज में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जनपद देहरादून की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम छमरोली– 15.00 है0, ग्राम मकड़ेती–10.000 है0 एवं ग्राम द्वारा–15.00 है0, कुल 40.00 है0 भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने के आदेश जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा पत्र संख्या– जिलाधिकारी, देहरादून का आदेश संख्या–579 / 12ए–49 / डी0एल0आर0सी0–(2023–2026),दिनांक–31 / 01 / 2026 एवं 594 / 12ए–49 /

डी0एल0आर0सी0–(2023–2026), दिनांक–20/02/2026 द्वारा किये गये हैं। (संलग्नक–2)। उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है, जिसका अभिलेखीय साक्ष्य यथा खाता विवरण संलग्न है (संलग्नक–3) एवं क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का जियो–रेफरेन्स्ड मैप संलग्न है (संलग्नक–4)

महोदया, उपरोक्त प्रश्नगत् क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र हेतु उपरोक्तानुसार चिन्हित **40.00 है0 भूमि** को भारतीय वन अधिनियम, 1927 यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–16 वर्ष–1927) की धारा–29 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत "संरक्षित वन" घोषित किया जाना है, जिस हेतु "अधिसूचना का ड्रांफ्ट" (संलग्नक–05) शासनादेश हेतु प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही अधिसूचना की word file(.docs) ई–मेल के माध्यम से प्रेषित है।

अतः सहमति की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही करना चाहें।

संलग्नक :–

1. प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति,
2. जिलाधिकारी, देहरादून के आदेश,
3. खतौनी (खाता विवरण) की प्रति,
4. जियो रेफरेन्स्ड मैप एवं
5. अधिसूचना का ड्राफ्ट।

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्याः– 3973 /तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. उप महाप्रबन्धक (तक0) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प0का0ई0–वसन्त विहार, इंजीनियर इन्क्लैव कॉलोनी, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

26/2/26

12
11036
28/02/2026

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003
Dated: December, 2024

To

The Addl. Chief Secretaries of Forests/Principal Secretary (Forests),
All States Governments and Union territory Administrations

Sub: Streamlining of the approval process with regards to compensatory afforestation as envisaged in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024 – reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the above subject and toinform that based on the references received from the Ministry of Mines, and Ministry of Coal, the provisions related to raising of compensatory afforestation, as envisaged in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024, have been reviewed by the Ministry and after due deliberations, the Central Government, in accordance with the provisions of section 3C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 hereby issues the following clarifications:

i. Provisions of Rule 14(1) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, provides that the non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation (CA) is to be notified as Protected Forests before final approval (Stage-II) approval is granted by the Central Government. However, in cases where non-forest land identified for CA has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department (SFD), the Central Government may accord final approval keeping in view the fact that provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 become applicable on such lands being entered as forest in government record/record of rights.
ii. In such cases, referred in para (i) above, the non-forest land forest land proposed for CA, shall be notified as Protected Forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 of local forest Act before handing over of forest land to the User Agency by the State Government. The Nodal Officer, after notification of such non-forest lands, shall upload a copy of said notification on the PARIVESH portal.
iii. For the purpose of rule 13(4)(a) of the States or Union territory Administrations, having forest area more than 33% of their total geographical area, concerned State Government/UT Administrationmay authorise a suitable officer to issue certificate of non-availability of the suitable non-forest land for raising CA.
iv. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects of Central Government entities/CPSU and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. Accordingly, the State Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the Central Government

Agencies/CPSUs or State Government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks.

v. With regards to the applicability of the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024 in respect of proposals of the Central Agencies/PSUs and captive coal blocks of the State PSUs which were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land, the following clarification is given in this regard:
   a. Proposals, which were submitted by the States/UTs before notification of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, along with the proposal of raising CA over degraded forest land (DFL) and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), shall be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL in lieu of NFL. The Central Government will consider and grant final approval in such cases stipulating CA over DFL.
   b. Proposals, which were submitted by the States/UTs along with CA proposal over non-forest land and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), can also be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL provided the non-forest land proposed for CA is not transferred and mutated in favour of the State Forest Department. In such cases, the Central Government or its Regional Office, based on the request of the State/UT Government or user agency, shall amend the condition of in-principle approval to raise CA over DFL on a case to case basis and subsequently the User Agency shall submit the compliance of in-principle for the obtaining the 'final' approval.

In view of the above, the State Government and Union territory Administrations are requested to take into consideration the guidelines mentioned hereinabove while considering the proposals submitted under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Signed by
Charan Jeet Singh
Date: 17-12-2024 13:56:41

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'E'

Copy to:

1. Director, PMO, South Block, New Delhi
2. Secretary, Ministry of Mines /Coal /Steel/ Power/ Railways/ MoRT&H/ Defence/MHA
3. Secretary, Ministry of Defence, Government of India
4. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, All States Governments and Union territory Administrations
5. Dy Director General of Forests (Central) All Regional Offices of the MoEF&CC

6. Nodal Officers, dealing with the matters related to the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, All States Governments and Union territory Administrations
7. Head, NIC, MoEFCC for aligning the PARIVESH 2.0 as per above

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (4) की अनुपालना में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसंत विहार, देहरादून

क-5

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (5) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 3357 वृक्षों एवं 1085 सैपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवाहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (6) की अनुपालना में In case the CA rates are revised then the user agency would have to deposit the remaining amount as per the revised rates in the CAMPA fund. इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क-7

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (7) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानो के अनुसार underpass / overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

5-8

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (8) की अनुपालना में वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसंत विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–9 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (9) की अनुपालना में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यलय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

क –10

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (10) की अनुपालना में राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क-11

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (12) की अनुपालना में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसंत विहार, देहरादून

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 3474 / 12-1 देहरादून, दिनांक- 06 फरवरी, 2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक (तक०)
सह परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
प०का०ई०-वसन्त विहार, देहरादून

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी० 0.000 से किमी० 20.600 तक मौजुदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

वृक्षों के छपान/पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

(Online proposal No.- FP/UK/ROAD/144663/2021)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/06/66/2023/एफ०सी०, दिनांक- 26.12.2024 एवं आपके कार्यालय का पत्र संख्या-NHAI/PIU-VSN1-VHR/5501/Rishikesh-Bhaniyawala/Forest/2021/8247, दिनाक-03-02-2025।

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमति चाही गयी है। विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/06/66/2023/एफ०सी०, दिनांक- 26.12.2024 के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसके अनुपालनार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों के अनुरूप एन०पी०वी० व क्षतिपूरक एवं अन्य देयताओं का भुगतान किया जा चुका है एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है। साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का शपथ पत्र उपलब्ध कराया गया है कि वर्तमान वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत जिन परियोजनाओं को 02 वर्ष या उससे अधिक समय पूर्व सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उनकी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का अनुपालन किया गया है।

चूंकि उक्त परियोजना एक रैखिक परियोजना (Linear Project) है, अत: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी CONSOLIDATED GUIDELINES AND CLARIFICATIONS issued under VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM, 1980 and VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) RULES, 2023 के प्रस्तर 11.1 में प्राविधानित व्यवस्था तथा वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या - 941/X-4/18/1-05/(04)/2014, दिनांक-26-09-2018 के आलोक में विषयांकित प्रकरण के कार्य आरम्भ करने की अनुमति, उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से किये गये अनुरोध के क्रम में तथा विधिवत् स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह अनुमति जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक ही वैद्य है।
2. यदि कार्य अनुमति की समाप्ति से पूर्व चरण - II (विधिवत स्वीकृति) का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो कार्य को मौके पर तत्काल प्रभाव से रोक दिया जायेगा।
3. वृक्षों के छपान से पूर्व वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के अनुसार मोटर मार्ग के समरेखण के दोनो ओर स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार वृक्षों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 3357 वृक्ष एवं 1085 Saplings से अधिक नहीं होगी। वृक्षों पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

क्रमश: --2—

5. भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मौके पर सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मौके पर सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 , भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
8. यह अनुमति शासकीय/विभागीय नियमों व विभिन्न स्तर के मा० न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन मानी जायेगी।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर यह अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

संख्या : 3474 /12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : - निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. उप वन महानिदेशक (के०), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, आई०टी०जी०सी० एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुमति पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

संख्या : 3474 /12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी (ऋषिकेश), ऋषिकेश उप वन प्रभाग।
2. रेंज अधिकारी, लच्छीवाला रेंज/बड़कोट रेंज/ थानो रेंज/ऋषिकेश रेंज को इस आशय से प्रेषित है कि विषयांकित परियोजना के संरेखण में प्रस्ताव के अनुसार प्रभावित हो रहे वृक्षों का छपान कर छपान सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(O/C) C D/man)

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com Phone/Fax-0135-2627812

पत्रांक- 5269 / 12-1 देहरादून, दिनांक- 06 / 06 / 2026

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वसन्त विहार,
मकना सं 21, फेज–I, इंजीनियर एन्क्लेव, जी0एम0एस0 रोड,
देहरादून।

विषय :– Four Six laning of Bhaniyawala-Jollygrant-Rishikesh road (Spur) section of NH-07 from Design Ch 0.000 to Design Ch 19.780 in the State of Uttarakhand (Proposal No - FP/UK/ROAD/146663/2021)
Reg. Extension of Working permission for Forest Land Diversion and Commencement of Tree felling Activites.

संदर्भ :– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 66 / 2023 / एफ0सी0, दिनांक–03.06.2026
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वसन्त विहार देहरादून का पत्रांक–NHAI/PIU/VV/2022/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/11554, दिनांक 03.06.2026 एवं NHAI/PIU/VV/2022/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/10553, दिनांक 14.01.2026
3. प्रभाग प्रमुख, वन संवर्द्धन एवं प्रबन्धन प्रभाग, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून का पत्र सं0–6–177 / Res/2025/AS(G)/500, दिनांक 09.10.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी0यू0सी0पी / 06 / 66 / 2023 / एफ0सी0, दिनांक 26.12.2024 के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है एवं इस कार्यालय के पत्र सं0–3474 / 12–1, दिनांक 06.02.2025 से वृक्षों के छपान / पातन एवं कार्य आरम्भ करने की नियमानुसार सशर्त अनुमति 01 वर्ष हेतु प्रदान की गयी है, जो कि दिनांक–05.02.2026 तक वैद्य है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त अनुमति में अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया था, जिस सम्बन्ध में दिनांक–21 मई 2026 को क्षेत्रीय सशक्त समिति (Regional Empowered Committee) की वर्ष 2026 की चतुर्थ आहुत आर0ई0सी0 बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 66 / 2023 / एफ0सी0, दिनांक–03.06.2026 से कतिपय शर्तों के अधीन Working permission में 01 वर्ष की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

साथ ही आप विदित है कि विषयांकित परियोजना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका WPPIL 37/2025 Reenu Paul v/s Union of India & Others में दिनांक 28 मार्च, 2025 को पारित आदेश के क्रम में, एफ0आर0आई0 द्वारा परियोजना में प्रभावित हो रहे वृक्षों में से प्रत्यारोपण हेतु उपयुक्त पाये गये 754 वृक्षों को चिन्हित किया गया है। प्रत्यारोपण अध्ययन कार्य / फील्ड सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रभाग प्रमुख, वन संवर्द्धन एवं प्रबन्धन प्रभाग, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून का पत्र सं0–6–177 / Res/2025/AS(G)/500, दिनांक 09.10.2025 से आपको उपलब्ध करायी गयी है। उक्त रिपोर्ट को आपके द्वारा स्वीकृत करते हुए आपक कार्यालय के पत्र दिनांक 14.01.2026 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि *"मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा प्रभावित वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट (प्रति सलग्न) उनके पत्र दिनांक 09.10.2025 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। प्रत्यारोपण रिपोर्ट के अनुसार वन भूमि पर स्थित 754 वृक्ष प्रत्यारोपण हेतु उपयुक्त पाये गये है एवं संदर्भित 754 वृक्षों के प्रत्यारोपण का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा"।* उक्त 754 वृक्षों के अतिरिक्त शेष प्रभावित वृक्षों के छपान एवं पातन हेतु अनुरोध किया गया है। उक्तानुसार भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा अनुशंसित 754 वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु चिन्हित स्थलों का विवरण इस कार्यालय के पत्र सं0 7699 / 12–1, दिनांक 26.08.2025 से आपको प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उक्त पत्र के आलोक में विषयांकित परियोजना में प्रभावित हो रहे वृक्षों के छपान / पातन व प्रत्यारोपण एवं कार्य आरम्भ करने की कार्यानुमति (Working permission) निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. The State Forest Department/User Agency shall submit the compliance report of all the conditions of Stage-I approval within the period of two months.
2. The State Forest Department shall ensure proper marking, geo-referencing and maintenance of records of all approved trees prior to commencement of felling operations.

क्रमशः–2–

3. All other conditions stipulated in the Stage-I/In-principle approval shall remain unchanged and shall continue to be applicable.
4. विषयांकित परियोजना में प्रस्ताव के अनुसार 3357 वृक्ष एवं 1085 Saplings प्रभावित हो रहे है। मा0 उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका WPPIL 37/2025 में दिनांक 28.03.2025 को पारित आदेश के क्रम में, एफ0आर0आई0 द्वारा उपरोक्त वृक्षों में से प्रत्यारोपण हेतु अनुशंसित 754 वृक्षों का आगामी वर्षाकाल मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किसी विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से चिन्हित स्थलों पर प्रत्यारोपण एवं अनुरक्षण किया जायेगा। प्रत्यारोपित वृक्षों की सफलता (Survival) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रयोक्ता एजेंसी / विशेषज्ञ संस्था की होगी।
5. यदि कार्य अनुमति की समाप्ति से पूर्व चरण – II (निर्धारित स्वीकृति) का अनुमोदन प्राप्त नही किया जाता है, तो कार्य को मौके पर तत्काल प्रभाव से रोक दिया जायेगा।
6. प्रत्यारोपण किये जाने वाले वृक्षो के अतिरिक्त प्रत्यावर्तित वन भूमि में वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार वृक्षो का पातन किया जायेगा। वृक्षों पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
7. वृक्षो के छपान से पूर्व वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के अनुसार मोटर मार्ग के समरेखण का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा।
8. भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मौके पर सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वन (संरक्षण एवं सवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 , भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथासंशोधित), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं अन्य सुसगत नियमों / आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
10. यह अनुमति शासकीय / विभागीय नियमों व विभिन्न स्तर के मा० न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अधीन मानी जायेगी।
11. यह अनुमति जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक ही वैद्य है।
12. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर यह अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

पत्रांक :–5269 / 12–1, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।
2. अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन सरक्षक, आई0टी0जी0सी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुमति पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

पत्रांक :–5269 / 12–1, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश, उप वन प्रभाग।
2. रेंज अधिकारी, बड़कोट रेंज, थानो रेंज एवं ऋषिकेश रेंज को इस आशय से प्रेषित है कि विषयांकित परियोजना में प्रभावित वृक्षो में से एफ0आर0आई0 द्वारा प्रत्यारोपण हेतु चिन्हित 754 वृक्षों के अतिरिक्त, परियोजना निर्माण हेतु आवश्यक अन्य वृक्षों का छपान कर छपान सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं उपरोक्तानुसार वृक्षो के प्रत्यारोपण हेतु प्रयोक्ता एजेसी को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

(11)

FORM- I
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Dehradun

No. 1375/DLRC/2022 Date: 22/11/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having Initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **19.8345 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway Authority of India, Dehradun** for **Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur)** in the district of Dehradun falls within jurisdiction of **Athoorwala** village in **Doiwala Tehsil, Ranipokhari Grant, Badkotmafi, Rishikesh** villages in **Rishikesh Tehsil**.

It is further certified that:

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **19.8345 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

c. The proposal does not involve recognized right of primitive Trible Groups and preagricultural communities.

Divisional Forest Officer
Dehradun

प्रति हस्ताक्षरित

District Magistrate
District Level Committee

Sub Divisiona Magistrate
Doiwala, Dehradun

Sub-Divisional Magistrate
Rishikesh, Dehradun

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

District Social Welfare
Department Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of ...SONIKA..............., **IAS, District Magistrate** on dated 08-09/2022 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in mail area measuring **19.8345 Hectare** for the **Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 (km 0.000 to km 20.600)** in the State of Uttarakhand of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division level Committee of **Doiwala and Rishikesh** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend and above case for diversion of land for the said purposed.

Place:
Date:

Divisional Forest Officer
Dehradun

प्रति हस्ताक्षरित

जिलाधिकारी
देहरादून
District Magistrate
District Level committee

Sub Divisiona Magistrate
Doiwala, Dehradun

Sub-Divisional Magistrate
Rishikesh, Dehradun

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

District Social Welfare
Department Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद देहरादून

पत्रांक :– 1375/DLRC/2022 दिनांक 22/11/2022

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 08-09-2022 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति मे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला एवं ऋषिकेश के अन्तर्गत **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **19.8345 हैक्टेयर** वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति– डोईवाला एवं ऋषिकेश द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी डोईवाला एवं ऋषिकेश की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **19.8345 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के तिमली रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी– डोईवाला एवं ऋषिकेश की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून

उपजिलाधिकारी
डोईवाला, देहरादून

उपजिलाधिकारी
ऋषिकेश, देहरादून

प्र0सं0 दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बसन्तविहार, देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport ...

प्रपत्र — 23.3

परियोजना का नाम — उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़कं को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई — 20.600 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला एवं ऋषिकेश के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु **कुल 19.8345 हैक्टेयर** वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम—2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

प्रति हस्ताक्षरित

उपजिलाधिकारी डोईवाला, देहरादून उप जिलाधिकारी डोईवाला	उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, देहरादून उप जिलाधिकारी ऋषिकेश	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
[illegible], देहरादून

76

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-01-2025

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA, VASANT VIHAR, PIU, DEHRADUN
Application No.	61146663690
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/66/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	House No 171, Phase 1, Vasant vihar, DehradunDehradun
Amount(in Rs)	111879497/-

Amount in Words :Eleven Crore Eighteen Lakh Seventy-Nine Thousand Four Hundred and Ninety-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961146663690 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-01-2025

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA, VASANT VIHAR, PIU, DEHRADUN
Application No.	61146663690
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/66/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	House No 171, Phase 1, Vasant vihar, Dehradun Dehradun
Amount(in Rs)	111879497/-

Amount in Words :Eleven Crore Eighteen Lakh Seventy-Nine Thousand Four Hundred and Ninety-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961146663690 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Account Statement

Customer Name (Account Name)	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA PIU VASANT VI (NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA PIU VASANT VIHAR)	Account No :252238972661		IndusInd Bank
From Date	25-Jan-25	To Date	30-Jan-25	

Bank Reference	Value Date	Transaction Date & Time	Type	Payment Narration	Debit	Credit	Available Balance
'INDBH28018420831	28 Jan 2025	'28-JAN-25 11:11:45	Debit	N/27012025001654/NPS Trust Acco/INDBH28018420831/	26108		3768023
'PUNBS25028401199	28 Jan 2025	'28-JAN-25 12:44:32	Credit	N/PUNBS25028401199/PUNB0717700/SURYA INTERNATIONAL/ PVT LTD//PUNBS25028401199 /		304640	4072663
'RBI0292579179741	28 Jan 2025	'28-JAN-25 13:14:26	Credit	N/RBI0292579179741/RBIS0PFMS01/CSNHA IWorks under/ Road Wing//RBI0292579179741 /		111879497	115952160
'RBI0292579179835	28 Jan 2025	'28-JAN-25 13:14:27	Credit	N/RBI0292579179835/RBIS0PFMS01/CSNHA IWorks under/ Road Wing//RBI0292579179835 /		13569	115965729
'RBI0292579179851	28 Jan 2025	'28-JAN-25 13:14:31	Credit	N/RBI0292579179851/RBIS0PFMS01/CSNHA IWorks under/ Road Wing//RBI0292579179851 /		27779	115993508
'295595	29 Jan 2025	'29-JAN-25 18:48:07	Debit	RTGS/EPH290125183354/1/68963710P01/604223/	111879497		4114011
'RBI0302583006708	29 Jan 2025	'29-JAN-25 19:11:26	Credit	N/RBI0302583006708/RBIS0PFMS01/CSNHA IFARO, Dehra/dunNational Highway Authority//RBI0302583006708 /		5500	4119511
'RBI0302583006644	29 Jan 2025	'29-JAN-25 19:11:38	Credit	N/RBI0302583006644/RBIS0PFMS01/CSNHA IFARO, Dehra/dunNational Highway Authority//RBI0302583006644 /		5500	4125011
'RBI0302583007596	29 Jan 2025	'29-JAN-25 19:11:40	Credit	N/RBI0302583007596/RBIS0PFMS01/CSNHA IFARO, Dehra/dunNational Highway Authority//RBI0302583007596 /		5500	4130511

NPV CA

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 3008 / 12-1 देहरादून, दिनांक- 08 जनवरी, 2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बसन्त विहार,
देहरादून।

विषय :- **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी० 0.000 से किमी० 20.600 तक मीजुदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।**
(Online proposal No.- FP/UK/ROAD/144663/2021)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या- 8बी/यू०सी०पी०/06/66/2023/एफ०सी०, दिनांक- 26.12.2024।

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र से विषयांकित परियोजना में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के सापेक्ष कैम्पा कोष में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	मद	भौतिक	दर	देय धनराशि (रू०)
1.	प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसका दस वर्षों तक अनुरक्षण	40 है०	₹ 4, 93,670.00 /ha.	₹ 1,97,46,800.00
2.	एन०पी०वी० (Eco-Class I, Density-0.8, Very Dense Forest)	19.8345 है०	₹ 15, 95,790.00 / ha.	₹ 3,16,51,697.00
3.	वन्यजीव प्रबन्धन योजना	2 % of Project cost		₹ 4,83,83,000.00
4.	मृदा एवं जल संरक्षण योजना	0.5 % of Project Cost		₹ 1,20,98,000.00
कुल योग				**₹ 11,18,79,497.00**
₹ ग्यारह करोड़ अठारह लाख उन्नासी हजार चार सौ सत्तानब्बे मात्र				

इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि भविष्य में यदि उपरोक्त मदों यथा प्रतिपूरक वनीकरण, एन०पी०वी० आदि में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो उक्त के अतिरिक्त धनराशि, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। उक्त धनराशि केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) फंड में जमा किया जायेगा।

क्रमशः - - 2 - -

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 3012 / 12-1 देहरादून, दिनांक- 08 जनवरी, 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी० 0.000 से किमी० 20.600 तक मौजुदा सड़क चार लेन चोड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No.- FP/UK/ROAD/144663/2021)**

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8वी/यू०सी०पी०/06/66/2023/एफ०सी०, दिनांक- 26.12.2024।

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र से विषयांकित परियोजना में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के सापेक्ष केम्पा कोष में जमा की जाने वाली धनराशि हेतु डिमाण्ड नोट इस कार्यालय के पत्र संख्या-3008/12-1, दिनांक- 08 जनवरी, 2024 से जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि भुगतान से पूर्व परिवेश पोर्टल पर डिमांड नोट आपके स्तर से सत्यापित किया जाना अनिवार्य है, तत्पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव हो पायेगी।

महोदय, विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन में डिमांड नोट की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि डिमांड नोट का अवलोकन करने के उपरान्त, सहमति की दशा में सत्यापित करना चाहें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

संख्या : 3012 /12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : - वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

अत: उक्तानुसार धनराशि का भुगतान ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से करते हुए विषयांकित प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों/प्रमाण पत्रों सहित ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें एवं परिपूर्ण अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में संगत दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

संख्या : 3008/12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (13) की अनुपालना में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/द्धपर अपलोड की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसंत विहार, देहरादून

ख-1

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0 ..., देहरादून

ख-2

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (2) की अनुपालना में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (3) की अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जायेगे उनका पालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसंत विहार, देहरादून

29-4

परियोजना का नामः– उत्तराखण्ड राज्य के जनपद–देहरादून में राज्य राजमार्ग–24 भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश खण्ड के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.620 तक के भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढिकरण के सम्बन्ध में।

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण के पत्रांक 3201-21/1 2020 दिनांक 16 अगस्त 2021 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद–देहरादून में राज्य राजमार्ग–24 भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश खण्ड के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.620 तक के भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढिकरण के निर्माण हेतु याचित वन भूमि की राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से हवाई दूरी 497 m सन्निकट आंकलित की गयी है। प्रस्तावित परियोजना/कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक 6-60/2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त परियोजना निर्माण हेतु जनहित में सहमति व्यक्त की जाती है।

(जे0एस0 सुहाग)
मुख्यवन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85-राजपुर रोड देहरादून (उत्तराखण्ड) फोन नं0-0135-2747834 फैक्स-2745391 ई-मेल-

पत्रांक 1079 /12-1 देहरादून दिनांक 25 सितम्बर 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
2. टीम लीडर, मै0 योंग्मा इन्जीनियरिंग को0 लि0।

(जे0एस0 सुहाग)
मुख्यवन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

O/C

ख-5

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (5) की अनुपालना में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

प्रस्ताव का नाम :- **Four/Six laning of Bhaniyawala-Jollygrant-Rishikesh road (Spur) section of NH-07 from Design Ch. 0.000 to Design Ch. 19.780 in the State of Uttarakhand. (Proposal No.-FP/UK/ROAD/146663/2021)**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 40.00 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम छमरोली (15.00 है०), मखडेती (10.00 है०) एवं द्वारा (15.00 है०) में चयनित किया गया है। साथ ही उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में प्रतिपूरक वनीकरण के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में निम्न कथनों की वचनबद्धता दी जाती है :-

1. यह कि उक्त परियोजना के एवज में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर मसूरी वन प्रभाग मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 40.00 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम छमरोली (15.00 है०), मखडेती (10.00 है०) एवं द्वारा (15.00 है०) में सैद्धांतिक स्वीकृति में दिये गये निर्देशों का के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र प्रतिपूरक वनीकरण कर लिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन नहीं किया जायेगा । **(शर्त संख्या-1 क)**
2. यह कि पोर्टल पर FCA Projects रजिस्टर किये जाने हेतु II stage Clearance Year का कॉलम Mandatory field है, जिस कारण प्रकरण में Stage II से पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र एवं अन्य आवश्यक विवरण वर्तमान में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। शर्त संख्या-1 ख के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है कि विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्त सभी विवरण ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। **(शर्त संख्या- 1ख)**
3. यह कि क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र में पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए, का पालन किया जायेगा। **(शर्त संख्या ख-6)**
4. यह कि उक्त सी०ए० क्षेत्र बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें। **(शर्त सं० ख -7)**

दिनांक 05.06.2026

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (8) की अनुपालना में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

रव-9

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021

दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–9 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (9) की अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

रव–10

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (10) की अनुपालना में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

ख-11

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0- वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (12) की अनुपालना में संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित किये जायेगें। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

29-13

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (13) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
एन0एच0ए0आई0-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Pro

posal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (14) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाये जायेगें। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (15) की अनुपालना में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–16 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (16) की अनुपालना में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसंत विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–17 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (17) की अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–18 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (18) की अनुपालना में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी उनका पालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

Z9-19

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of P

roposal: 01/09/2021

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–19 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (19) की अनुपालना में The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable. इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

Lq-20

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–20 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (20) की अनुपालना में The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

29-21

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–21 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (21) की अनुपालना में The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–22 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (22) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–23 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (23) की अनुपालना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–24 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (24) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

ख-2

क्रमांक :– FP/UK/ROAD/146663/2021 दिनांक :– 22.05.2026

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–25 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र क्र0 सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/66/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.12.2024 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (25) की अनुपालना में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Saurabh

(Saurabh Singh)
Deputy General Manager (Tech) cum
Project Director
National Highway Authority of India
PIU Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून